न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 81/2019 G.C.M.S. No. 2019/00396 दर्ज दिनांक : 15.11.2019

अपीलार्थीगण:

1. मृत राजीया पुत्र चमना, जाति कुम्हार, निवासी मादा, तहसील देसूरी व जिला पाली के का.मु.–
   1/1 मोहनलाल पुत्र राजीया
   1/2 बाबुलाल पुत्र राजीया
   1/3 चंपालाल पुत्र राजीया जातिगण कुम्हार निवासीगण मादा, तहसील देसूरी व जिला पाली।
   1/4 शांति पुत्री राजीया, पत्नि पेमाराम, जाति कुम्हार, निवासी काणा, तहसील देसूरी व जिला पाली।
   1/5 रूकमा पुत्री राजीया पत्नि देवाराम, जाति कुम्हार, निवासी काणा, तहसील देसूरी व जिला पाली।
   1/6 मथरा पुत्री राजीया पत्नि जगाराम, जाति कुम्हार, निवासी जोबा, तहसील देसूरी व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मृत नगा पुत्र चंदा के वारिसान :–
   1/1 मृत देवाराम पुत्र स्व. नगा के का.मु.:–
      1/1/1 मृत भंवरलाल पुत्र स्व. देवाराम के का.मु.
         1/1/1/1 जीतू पुत्र स्व. भंवरलाल, उम्र 22 वर्ष
         1/1/1/2 नरेश पुत्र स्व. भंवरलाल, उम्र 18 वर्ष
         1/1/1/3 मनीषा पुत्री स्व. भंवरलाल, पत्नि उमाराम
         1/1/1/4 कंचन पुत्री स्व. भंवरलाल, उम्र 16 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरतीवली भाई जीतू पुत्र भंवरलाल
      1/1/2 प्रभुराम पुत्र स्व. देवाराम, जातिगण कुम्हार, निवासीगण मादा, तहसील देसूरी व जिला पाली।
      1/1/3 गवरी पुत्री स्व. देवाराम, पत्नि हंसाराम जाति कुम्हार, निवासी लुणावा, तहसील बाली।
      1/1/4 गीता पुत्री स्व. देवाराम पत्नि दुदाराम, जाति कुम्हार, निवासी काणा, तहसील देसूरी व जिला पाली।
      1/1/5 सीता पुत्री स्व. देवाराम पत्नि सोनाराम, जाति कुम्हार, निवासी नारलाई, तहसील देसूरी व जिला पाली।
      1/1/6 मधु पुत्री स्व. देवाराम पत्नि कस्तुराराम, जाति कुम्हार, निवासी जोबा, तहसील देसूरी व जिला पाली।
   1/2 मृत शंकर पुत्र स्व. नगा के वारिसान:–
      1/2/1 शांतिदेवी पत्नि शंकर
   1/3 रूपा पुत्र स्व. नगा
   1/4 चुना पुत्र स्व. नगा, जातिगण कुम्हार, निवासीगण मादा, तहसील

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

देसूरी व जिला पाली।

2. मृत चुनीया उर्फ चुन्नीलाल पुत्र चमना के का.मु.–
   2/1 मांगीलाल पुत्र स्व. चुनीया उर्फ चुन्नीलाल
   2/2 मोतीलाल पुत्र स्व. चुनीया उर्फ चुन्नीलाल
   2/3 हमीरराम पुत्र स्व. चुनीया उर्फ चुन्नीलाल
   2/4 जीवराज पुत्र स्व. चुनीया उर्फ चुन्नीलाल
   2/5 मदन पुत्र स्व. चुनीया उर्फ चुन्नीलाल, जातिगण कुम्हार, निवासीगण मादा, तहसील देसूरी व जिला पाली।
3. गोपाराम पुत्र भुता
4. मृत वेना पुत्र चमना के वारिसानः–
   4/1 भंवरलाल पुत्र वेना
   4/2 शेषाराम पुत्र वेना
   4/3 पुखराज पुत्र वेना
   4/4 मृत अणची पत्नि वेना (कायम मुकाम पहले से ही रेस्पोंडेंट संख्या 4/1 से 4/3 के रूप में रेकर्ड पर है) जातिगण कुम्हार, निवासीगण मादा, तहसील देसूरी व जिला पाली।
5. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, देसूरी व जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 13/2000 बअनवान राजिया बनाम नगा के का.मु. देवाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.09.2019

पैरोकार–

1. श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री अशोक अरोड़ा, श्री तरूण उपाध्याय, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः 28.11.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 13/2000 बअनवान राजिया बनाम नगा के का.मु. देवाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.09.2019 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या दो द्वारा एक वाद खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का शेष रेस्पोंडेन्ट एवं सोहन, भंवरलाल, नारायण, कन्या वगैरा के विरूद्ध इस आशय का पेश किया था कि ग्राम मादा स्थित कृषि भूमि बेरा आमलावा की भूमि पुराना खसरा नंबर 310, 310/1, 310/2 कुल रकबा 26 बीघा 7 बिस्वा, जिसके वर्तमान खसरा नंबर 957, 958, 959, 963 से 976 कुल रकबा 4.38 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है, जो मादा गांव के जागीरदारान की जागीरी व बापी की स्थित थी, जिसे उक्त जागीरदारान ने सम्वत् 2004 के भादवा सुद सातम को उक्त कृषि भूमि का बापी पट्टा वादीगण राजीया एवं चुनीया, प्रतिवादी संख्या 7 वेना पुत्र चमना एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

... प्रतिवादी संख्या 1 नगाजी ... पट्टा जारी किया गया, न ही ... वादीगण छोटे होने से प्रतिवादी ... कर्ड में दोनों वादीगण के स्थान पर ... एक द्वारा वाद में एक तहरीरी लिखत ... दत कर उपरोक्त तथ्यों को स्वीकार किया ... एक एवं गंगारामजी अथवा उनके वारिसान ... भी रूप से कब्जा काश्त नहीं रहा है, वास्तविक ... मुताजी तथा वेनाजी का ही रहा है। उपरोक्त भूमि ... तनी नहीं रही हैं। लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादीगण ... र प्रथम सेटलमेन्ट के समय सीधे ही चंदाजी के तीनों ... नाजी के पुत्र वेनाजी का नाम दर्ज कर दिया, जो अशुद्ध ... उपरोक्त भूमि वादी संख्या एक राजीया, वादी संख्या दो ... बापी पट्टा के रूप में खरीद की हुई, कब्जा काश्त की भूमि ... परोक्तानुसार आधिपत्य है। उपरोक्त तथ्यों को स्वीकार करते हुए ... पांच गंगारामजी के वारिसान ने गलत रूप से गंगारामजी के नाम ... स्वेच्छा से वाद प्रस्तुति के बाद बक्शीशनामा दिनांक 03.07.2000 को ... पक्ष में निष्पादित कर दिया। इस प्रकार गंगारामजी के स्थान पर वादी ... दार दर्ज हो चुका है, इस प्रकार केवल वादी संख्या एक राजीया का चौथा ... रूप से प्रतिवादी संख्या एक नगाजी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज चला ... या, उस संबंध में वाद को संशोधित किया गया और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ... स्वीकार कर वाद को संशोधित करते हुए वादी संख्या दो चुनीया को प्रतिवादी ... या दो के रूप में नियोजित किया तथा संशोधन पूर्व वाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या ... से पांच का नाम वाद में से हटाया गया, उनके स्थान पर वादी संख्या दो को प्रतिवादी संख्या दो के रूप में नियोजित किया गया। प्रकरण में दौराने वाद प्रतिवादी संख्या चार की मृत्यु होने पर उनके तीनों पुत्र व पत्नी को वारिसान के रूप में रेकर्ड पर लिया गया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में वारिसान का नाम निर्णय अनवान में दर्ज नहीं कर मृत वेनाजी का नाम दर्ज रखा है, जिससे यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पत्रावली का अवलोकन किये ही सरसरी तौर पर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है। संशोधित ...

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी संख्या 6 के पिता भुताजी के नाम कर दिया था। प्रतिवादी संख्या 1 नगाजी एवं मृत गंगारामजी को न तो उपरोक्त भूमि का बापी पट्टा जारी किया गया, न ही जागीरदारान द्वारा बेचाण किया गया, लेकिन तत्समय वादीगण छोटे होने से प्रतिवादी संख्या एक व गंगारामजी ने अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दोनों वादीगण के स्थान पर दर्ज करवा दिया, जिस संबंध में प्रतिवादी संख्या एक द्वारा वाद में एक तहरीरी लिखत वादी के पक्ष में दिनांक 27.09.1958 को निष्पादित कर उपरोक्त तथ्यों को स्वीकार किया है और स्वीकृत रूप से उक्त प्रतिवादी संख्या एक एवं गंगारामजी अथवा उनके वारिसान का कभी भी उपरोक्त कृषि भूमि पर किसी भी रूप से कब्जा काश्त नहीं रहा है, वास्तविक भौतिक रूप से दोनों वादीगण का एवं भुताजी तथा वेनाजी का ही रहा है। उपरोक्त भूमि चंदाजी की खातेदारी की अथवा पुश्तैनी नहीं रही हैं। लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादीगण छोटे होने से जागीर जब्ती के बाद प्रथम सेटलमेन्ट के समय सीधे ही चंदाजी के तीनों पुत्र भुता, नगा, गंगाराम एवं चिमनाजी के पुत्र वेनाजी का नाम दर्ज कर दिया, जो अशुद्ध इन्द्राज है। वास्तविक रूप से उपरोक्त भूमि वादी संख्या एक राजीया, वादी संख्या दो चुनीया, भुता एवं वेनाजी के बापी पट्टा के रूप में खरीद की हुई, कब्जा काश्त की भूमि है, जिस पर आज भी उपरोक्तानुसार आधिपत्य है। उपरोक्त तथ्यों को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी संख्या दो से पांच गंगारामजी के वारिसान ने गलत रूप से गंगारामजी के नाम दर्ज चौथे हिस्से को स्वेच्छा से वाद प्रस्तुति के बाद बक्शीशनामा दिनांक 03.07.2000 को वादी संख्या दो के पक्ष में निष्पादित कर दिया। इस प्रकार गंगारामजी के स्थान पर वादी संख्या दो खातेदार दर्ज हो चुका है, इस प्रकार केवल वादी संख्या एक राजीया का चौथा हिस्सा गलत रूप से प्रतिवादी संख्या एक नगाजी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज चला आ रहा था, उस संबंध में वाद को संशोधित किया गया और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदन स्वीकार कर वाद को संशोधित करते हुए वादी संख्या दो चुनीया को प्रतिवादी संख्या दो के रूप में नियोजित किया तथा संशोधन पूर्व वाद में वर्णित प्रतिवादी संख्या दो से पांच का नाम वाद में से हटाया गया, उनके स्थान पर वादी संख्या दो को प्रतिवादी संख्या दो के रूप में नियोजित किया गया। प्रकरण में दौराने वाद प्रतिवादी संख्या चार की मृत्यु होने पर उनके तीनों पुत्र व पत्नी को वारिसान के रूप में रेकर्ड पर लिया गया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में वारिसान का नाम निर्णय अनवान में दर्ज नहीं कर मृत वेनाजी का नाम दर्ज रखा है, जिससे यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पत्रावली का अवलोकन किये ही सरसरी तौर पर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है। संशोधित वादपत्र में ही अनवान में ही प्रतिवादी संख्या चार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

येना को फौत अंकित करते हुए चारों वारिसान का नाम उक्त अनवान में ही दर्ज है, लेकिन निर्णय व डिक्री मृत येना के विरूद्ध ही पारित की हैं, जो नलिटी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का विधिनुसार विवेचन किये बिना ही, तनकीयात को गलत रूप से निर्णित करते हुए अपीलार्थी के वाद को खारिज करने में विधिक रूप से भारी भूल की हैं। इसके अतिरिक्त खातेदारी घोषणा व निषेधाज्ञा के संबंध में सुनवाई की अधिकारिता केवल मात्र सहायक कलक्टर को ही हैं, लेकिन अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहायक कलक्टर के रूप में पारित नहीं कर उपखण्ड अधिकारी के पदनाम से ही पारित किया है। जो किसी भी रूप से कायम रखे जाने योग्य नहीं हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए:–

1. 2000-01 DNJ 414
2. 2007 (1) RLW 434
3. 2004 (4) RLW (SC) 513
4. 2019 (1) RRT 476
5. 2016 DNJ (SC) 561
6. 2000 DNJ 380

हमनें विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन करते हुए प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया तथा प्रकरण के सम्यक न्याय–निर्णयन में यथोचित मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में रेस्पोंडेंट प्रतिवादीगण के विरूद्ध खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।

2. अपीलांट वादी द्वारा वादपत्र में मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी मारवाड़ रियासत में शासण जागीर गांव मादा की हैं। जिसके जागीरदारान ने संवत 2004

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

भादवा शुद सप्तमी को बापी पट्टा वादी, प्रतिवादी संख्या 2 व 4 व मृत भूता के पक्ष में कर कब्जा सुपुर्द किया गया। तब से उक्त आराजीयात पर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 4 व मृत भूता व उसके वारिसान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 व मृत गंगाराम या इनके वारिसान का कभी कब्जाकाश्त नहीं रहा। संवत 2005 में मारवाड़ काश्तकारी अधिनियम लागू होने पर जागीर भूमियों का सेटलमेंट हुआ तथा मौके पर कब्जाकाश्त अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए। सेटलमेंट विभाग द्वारा गलती से वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार दर्ज नहीं कर प्रतिवादी संख्या 1 व 4 तथा मृत भूता व मृत गंगाराम को खातेदार दर्ज कर दिया गया। जो विधिविरूद्ध था। मृत गंगाराम व प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 27.09.1958 को तहरीर निष्पादित कर यह स्वीकार किया कि वादग्रस्त आराजी पर उनका कभी कोई कब्जाकाश्त नहीं रहा व न कोई हक है। अतः वादग्रस्त आराजीयात में वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार अभिधारी घोषित किया जाकर, प्रतिवादी संख्या 2 से 4 प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्सा यथावत रखा जावें व प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित किया जावें। प्रकरण में प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर विवाद्यक कायम किए गए तथा उभयपक्षकारान की साक्ष्य लेकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित विवाद्यक संख्या 1 वादग्रस्त आराजीयात में वादी का 1/4 हिस्सा के खातेदारी अधिकारों की घोषणा से संबंधित है। जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादी के विरूद्ध निर्णित किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वस्तुतः वादी साक्ष्य के मौखिक गवाहों के बयानात का विवेचन आदि करते हुए वादग्रस्त आराजीयात पर वादी का कभी कब्जाकाश्त नहीं रहना अंकित करते हुए तथा वादी को महज गिरदावरी प्रविष्टियों एवं अतिक्रमी के रूप में मानते हुए विवाद्यक को वादी के विरूद्ध निर्णित किया गया है।

4. हमारे विनम्र मत में वादी का वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा के अनुतोष का मूल आधार यह था कि वादग्रस्त आराजीयात रियासतकाल में जागीर भूमि रही हैं तथा तत्कालीन जागीरदार द्वारा संवत 2004 में वादग्रस्त आराजीयात का वादी एवं प्रवितादी संख्या 2 व 4 व मृत भूता के पक्ष में कर कब्जा सुपुर्द किया गया। तब से उक्त आराजीयात पर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 4 व मृत भूता व उसके वारिसान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 व मृत गंगाराम या इनके वारिसान का कभी कब्जाकाश्त नहीं रहा। संवत 2005 में मारवाड़ काश्तकारी अधिनियम लागू होने पर जागीर भूमियों का सेटलमेंट हुआ तथा मौके पर कब्जाकाश्त अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए। लेकिन भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान भू–प्रबंध विभाग द्वारा गलती से वादी नाम दर्ज नहीं कर प्रतिवादी संख्या 1 व व 4 तथा मृत भूता व मृत

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

गंगाराम को खातेदार दर्ज कर दिया गया। जो विधिविरूद्ध था। वादी द्वारा इस संबंध में तत्कालीन जागीरदारान द्वारा संवत 2004 भादवा शुद सप्तमी को निष्पादित बापी पट्टा साक्ष्य में प्रदर्श करवाया गया, जो प्रदर्श 1ए है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेजात का मारवाड़ काश्तकारी अधिनियम 1949 तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण व विवेचन नहीं किया गया। जबकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2019 (1) RRT 476, 2016 DNJ (SC) 561 एवं 2000 DNJ 380 में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि साक्ष्य में प्रस्तुत व प्रदर्श दस्तावेजात को साक्ष्य में पढ़ा जाएगा तथा उसे साक्ष्य के रूप में ग्रहण करने के बाद उसकी ग्राह्यता पर कोई आक्षेप नहीं किया जा सकता। वादी द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अन्य दस्तावेजी साक्ष्य जो उक्त बापी पट्टा निष्पादन के पश्चातवर्ती है यथा गिरदावरी, लगान रसीदें आदि से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात पर भू–प्रबंध पूर्व से वादी का भी कब्जाकाश्त व उपयोग–उपभोग चला आ रहा है। लेकिन हमारे विनम्र मत में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में उक्त महत्वपूर्ण साक्ष्य का संगत विधिक प्रावधानों के आलोक में विवेचन किए बिना तथा अपने विनिश्चय का कारण प्रकट किए बिना उक्त विवाद्यक वादी के विरूद्ध निर्णित करने में विधिक भूल कारित की हैं। जो पुष्टि योग्य नहीं हैं।

5. विवाद्यक संख्या 2 वादग्रस्त आराजीयात पर प्रतिवादी संख्या 1 या उनके वारिसान का कब्जाकाश्त नहीं होने से संबंधित है। जिसे विचारण न्यायालय द्वारा वादी के विरूद्ध निर्णित किया गया है तथा निर्णय के आधार के रूप में गंगाराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 से 5 द्वारा बख्शीशनामा चुन्नीलाल के पक्ष में निष्पादित करने तथा चुन्नीलाल को वादी से हटाकर प्रतिवादी संयोजित करने तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 5 को वादपत्र से हटाने को अंकित करते हुए गंगाराम के वारिसान का कब्जा सेटलमेंट से लेकर दिनांक 03.07.2000 तक चला आना साबित मान लिया गया। हमारे विनम्र मत में बख्शीशनामा पश्चातवर्ती कार्यवाही है तथा बख्शीशनामा महज भू–अभिलेखीय प्रविष्टियों के आधार पर निष्पादित किया गया। जिन्हें वादी द्वारा सारवान रूप से प्रश्नगत किया गया है तथा प्रथम भूप्रबंध पूर्व से वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 व मृत भूता व इनके वारिसान का कब्जा होना उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है। अतः उक्त विवाद्यक का विनिश्चय साक्ष्य के विपरीत व आधारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं हैं।

6. विवाद्यक संख्या 3 दिनांक 27.09.1958 को मृत गंगाराम व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा निष्पादित तहरीर इकरार से कब्जा नहीं होना स्वीकार किया जाना से संबंधित है। जो जिम्मे वादी थीं। जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादी के विरूद्ध निर्णित किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक तहरीर इकरार का निष्पादन स्टांप पर नहीं होने लिखत ईएक्स 12 के अवलोकन मात्र से एक फर्जी दस्तावेज होने एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अंगुष्ठ निशान मेल नहीं खाने एवं अन्य रजिस्टर्ड व अन्य स्टांप्ड दस्तावेज होने से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होना अंकित करते हुए उक्त विवाद्यक वादी के विरूद्ध निर्णित किया गया। हमारे विनम्र मत में प्रथम तो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य या वैध अधिकार प्राप्त प्राधिकारी की रिपोर्ट प्रस्तुत व प्रदर्श नहीं करवाई हैं। जिससे यह स्पष्ट हों कि प्रदर्श 12 लिखत इकरार फर्जी दस्तावेज हों। किसी भी दस्तावेज को न्यायालय द्वारा अवलोकन मात्र से वैध या अवैध घोषित नहीं कर सकता एवं अंगुष्ठ निशान केवल तकनीकी विशेषज्ञ ही मिलान कर सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अंगुष्ठ निशान को अवलोकन मात्र से मिस्मैच होना अंकित किया गया है। इसी प्रकार यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 27.09.1958 को निष्पादित तहरीर महज स्वीकारोक्ति मात्र है। यह न तो अंतरण है व न ही कब्जा हस्तांतरण व सुपुर्दगी आदि है। ऐसी स्थिति में ऐसे दस्तावेजात का पंजीकृत व स्टांपित होना आवश्यक व अपेक्षित नहीं हैं तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अंतर्गत ऐसे दस्तावेजात के सही होने की धारणा की जा सकती है तथा इन्हें साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। अतः इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अभिमत विधिसम्मत नहीं होने व साक्ष्य व विधि की समुचित विवेचना के अभाव में पारित होने से स्वीकार योग्य नहीं है।

7. विवाद्यक संख्या 4 वादग्रस्त आराजीयात में वादी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने से संबंधित है। जो वादी के जिम्मे रखा गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक वादी सहखातेदार के खिलाफ किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने तथा वादी सहखातेदार नहीं होने के आधार पर खारिज किया गया। हमारे विनम्र मत में चूंकि वादी द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का मुख्य अनुतोष भी चाहा है तथा वांछित 1/4 हिस्से तक स्थाई निषेधाज्ञा की मांग की गई हैं। घोषणा से संबंधित विवाद्यक संख्या 1 का विनिश्चय काबिल अपास्त है। अतः उक्त विवाद्यक के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित विनिश्चय भी स्वीकार योग्य नहीं हैं।

8. विवाद्यक संख्या 5 जोकि वादग्रस्त आराजीयात के 1/4 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा काश्त पिता चंदा के जीवनकाल से निरंतर विद्यमान होने से संबंधित है। जो प्रतिवादी संख्या 1 के जिम्मे रखा गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मिसल बंदोबस्त प्रदर्श ए2 व खतौनी प्रदर्श 1, 3, 4 पर्चा पैमाइश प्रदर्श 10 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा काश्त होना साबित माना है। जबकि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात पर रियासतकाल से वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 व मृत भूता एवं वारिसान का कब्जा होने का दावा किया है तथा प्रदर्श 1ए बापी पट्टा एवं तहरीर इकरार दिनांक 27.09.1958 प्रदर्श 12ए से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात पर प्रतिवादी संख्या 1 का कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

कब्जा काश्त नहीं रहा। वादी द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत व प्रदर्श गिरदावरी व लगान रसीदों से भी इसकी ताईद होती हैं। खतौनी बंदोबस्त व भू–प्रबंध कार्यवाही को वादी द्वारा सारवान रूप से प्रश्नगत किया गया है। इस संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा संवत 2004 से वादग्रस्त आराजीयात के 1/4 हिस्से का निरंतर कब्जे काश्त के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निर्णित किया जाना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता।

9. विवाद्यक संख्या 6 उक्त विवाद्यक बख्शीशनामा दिनांक 03.07.2000 के चुन्नीलाल को कोई हक, अधिकार नहीं होने से संबंधित है। जिसे प्रतिवादी संख्या 1 के जिम्मे रखा गया है। उक्त विवाद्यक पंजीकृत दस्तावेजात की वैधता से संबंधित है तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त पंजीकृत दस्तावेजात को शून्य घोषित किए जाने बाबत सक्षम न्यायालय का कोई निर्णय/डिक्री प्रस्तुत नहीं की हैं। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस पर गौर किए बिना उक्त विवाद्यक प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में साबित मानकर भूल की हैं। साथ ही विवाद्यक संख्या 1 का विनिश्चय भी काबिल अपास्त है। अतः उक्त विवाद्यक के संबंध में पारित विनिश्चय पुष्टि योग्य नहीं हैं।

10. विवाद्यक संख्या 7 उक्त विवाद्यक वादग्रस्त आराजीयात के 1/4 हिस्से पर वादी का व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्से पर कब्जा काश्त से संबंधित था तथा इसे प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के जिम्मे रखा गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक साक्ष्य व संगत विधिक प्रावधानों का विवेचन किए बिना, हिस्से की मांग जरिये उत्तराधिकार करनी चाहिए न कि बख्शीशनामा के आधार पर आदि विवेचन के साथ नासाबित माना है। हमारे विनम्र मत में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस संबंध में कब्जे संबंधी साक्ष्य का विधिक प्रावधानों के आलोक में परीक्षण किए बिना अभिमत पारित किया है। जो स्वीकार योग्य नहीं हैं।

11. वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद विचारण के दौरान प्रतिवादी वेना पुत्र चमना फौत हो चुका था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मृतक प्रतिवादी के विरूद्ध पारित की हैं। जो काबिल अपास्त है।

12. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 2 से 7 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वादपत्र का इकबालिया जवाब प्रस्तुत करते हुए वादपत्र का समर्थन किया गया। ऐसी स्थिति में वादपत्र से सहमति के कारण इकबालिया जवाबदावा के आधार पर कोई विवाद्यक विरचित नहीं किया जा सकता। क्योंकि ऐसे इकबालिया जवाबदाता द्वारा वादपत्र का विरोध नहीं कर समर्थन किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में इकबालिया जवाबदावा के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

आधार पर विवाद्यक संख्या 7 विरचित करते हुए उसे प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 के जिम्मे रखा गया है। जो विधिविरूद्ध है तथा काबिल अपास्त एवं विवाद्यक विलोपन योग्य है।

13. वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादपत्र में वादग्रस्त आराजीयात पर रियासतकाल से कब्जाकाश्त होने एवं तत्कालीन जागीरदार द्वारा बापी पट्टा जारी करने से वादी का वादग्रस्त आराजीयात के 1/4 हिस्से पर मारवाड़ काश्तकारी अधिनियम प्रवृत्त होने के साथ ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत भी खातेदारी अधिकार निहित हो जाने बाबत उज्र लिया गया जो कि प्रकरण में सारवान रूप से महत्वपूर्ण तथ्य व कथन है। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को विवाद्यक विरचित किया जाना चाहिए था। जो नहीं कर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कानूनन भूल की हैं। अतः प्रकरण में निम्नानुसार अतिरिक्त विवाद्यक विरचित किया जाना आवश्यक व विधिसम्मत होगा –

"आया वादग्रस्त आराजीयात पर मारवाड़ रियासतकाल में संवत 2004 से वादी का 1/4 हिस्से पर व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्से पर कब्जाकाश्त व उपयोग–उपभोग होने व तत्कालीन जागीरदारान द्वारा बापी पट्टा निष्पादित होने से मारवाड़ काश्तकारी अधिनियम 1949 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रवर्तन के साथ ही वादी को वादग्रस्त आराजीयात में 1/4 हिस्से के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थें" ? जिम्मे वादी

14. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारे विनम्र मत में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टियोग्य नहीं होने से एवं अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ विचारण न्यायालय को निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट्स अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर न्यायालय सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 13/2000 बअनवान राजिया बनाम नगा के का.मु. देवाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.09.2019 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा विरचित विवाद्यक संख्या 7 को विलोपित करते हुए एवं प्रकरण में निम्नानुसार अतिरिक्त विवाद्यक कायम करते हुए –

"आया वादग्रस्त आराजीयात पर मारवाड़ रियासतकाल में संवत 2004 से वादी का 1/4 हिस्से पर व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्से पर कब्जाकाश्त व

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

उपयोग–उपभोग होने व तत्कालीन जागीरदारान द्वारा बापी पट्टा निष्पादित होने से मारवाड़ काश्तकारी अधिनियम 1949 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रवर्तन के साथ ही वादी को वादग्रस्त आराजीयात में 1/4 हिस्से के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थें' ? जिम्मे वादी

प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में मृतक पक्षकारान के वारिसान को रिकॉर्ड पर लेते हुए संशोधित शीर्षक प्राप्त कर उपर्युक्तानुसार विवाद्यक संशोधित करते हुए उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए आदेश 20 नियम 5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक विधिक प्रावधानों के अनुपालन में साक्ष्य का संगत विधिक प्रावधानों के आलोक में समुचित विवेचन करते हुए अपने विनिश्चय का आधार व कारण अंकित करते हुए विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन कर प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित व डिक्री करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 05.01.2026 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर देसूरी में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **28.11.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील अधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner